संख्या. 7(36)-संस्था0III/88

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

व्यय विभाग

....

नई दिल्ली, दिनांक 9 अगस्त, 1988

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- संशोधन-पूर्व गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड/वैयक्तिक आधार पर अनुरूपी संशोधित वेतनमान वाले व्यक्तियों का वेतन नियत करना।

....

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कुछ समूह "ग" और "घ" श्रेणियों के पदों के मामले में इस मंत्रालय के 10.1.77 के का0ज्ञा0सं0 7(21)संस्था.III (क)/74 द्वारा गैर क्रियात्मक चयन ग्रेड बनाया गया था। चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर ये गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड पद अब समाप्त कर दिए हैं। लेकिन, केन्द्रीय सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियमावली, 1986 की पहली अनुसूची के भाग "क" के नीचे " टिप्पणी " के अनुसार गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड में मौजूदा पदधारियों को संशोधन-पूर्व गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड के अनुरूप उपयुक्त संशोधित वेतनमान को वैयक्तिक रूप में लेते रहने की अनुमति दी गई है। कुछ मामलों में संशोधन-पूर्व गैर-क्रियात्मक चयन ग्रेड के लिए अनुरूपी संशोधित वेतनमान अगले पदोन्नत पद के लिए संशोधित वेतनमान के समान हो गए हैं। यह शंका व्यक्त की गई है कि इस प्रकार के संशोधित वैयक्तिक वेतनमान में सरकारी कर्मचारी के वेतन को किस प्रकार नियत किया जाए जब पदोन्नति से सम्बन्धित नियमों की प्रक्रिया का यथावत् पालन करने के बाद समान वेतनमान में नियुक्ति हुई हो तथा पदोन्नति वाले पद की नियुक्तियों में उच्चतर कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारियों का भार शामिल हो।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां पर भी उच्चतर पद पर नियुक्ति के लिए उच्चतर कर्त्तव्य तथा जिम्मेदारियाँ अंतर्निहित होती हैं और वैयक्तिक वेतनमान तथा उच्चतर पद का वेतनमान समान होता है तो वेतन को मूल नियम-22-ग के अंतर्गत नियत किया जाए।

2. जहां तक भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में कार्य कर रहे व्यक्तियों के लिए इन के लागू होने का सम्बन्ध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

(बी0 कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग मानक वितरण सूची के अनुसार।

....